I will repudiate any suggestion that everything in the defence scientific organisation is rotten. That will be doing no good to the fine research and development work which the organisation is doing in the Defence Ministry.

श्री उप सेन: मैं एक छोटा सा धौर सीघा सा सवाल करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से मैसर्स घात्मा राम एण्ड संस बुकसेलर्ज को कुछ रुपया दिया गया, बड़ा धन दिया गया कि वे वैज्ञानिक पित्रकाए देंगे, साइंटिफिक जरनल देंगे लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया? क्या मंत्री महोदय ने जब कागजात को देखा तो यह भी देखने को मिला कि उन्होंने पैसा तो ले लिया लेकिन पित्रकाएं भादि नहीं दीं भीर नहीं पैसा वार्षिस किया?

भी जगजीवन राम : इस से यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

Super Tanker oil Terminal Project at Cochin

\*350. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

- (a) the total amount spent so far on the Super Tanker Project at Cochin Harbour;
- (b) whether Government have completed the re-appraisal of the project and if so, the details thereof; and
- (c) the steps taken for the speedy execution of this project?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI); (a) to (c). An investment decision on the Super Tanker Oil Terminal Project at Cochin would depend upon the feasibility of processing Bombay High crude in the Cochin Refineries. This question is at present under examination. An amount of about Rs. 2.3 crores has so far been

spent towards preliminary works, construction of reclamation Bund and purchase of some construction materials.

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Speaker Sir, before putting my question I would appear to the Prime Minister to look into the case sympathetically. Apart from this, I would like to say here that the prejudiced attitude of the officers in the Planning Commission is always to object to this project. There has been some mystery behind Let me tell you the history of this. As you know, Sir, this project has been objected to by the officers of the Planning Commission always. I come from Kerala State and hence I appeal to the Prime Minister to consider this case and look into it in a sympathetic way.

MR. SPEAKER: That means he has no supplementary to put. This is only an appeal to you for your sympathetic consideration.

SHRI MORARJI DESAI: I accept his appeal.

MR. SPEAKER: He has accepted your appeal. Now there should be no controversy.

जेलों में ग्रथवा पेरोल के दौरान मरने वाले ∴हाददाद्ध थों के ग्राधिनों को पेंशन देना

- \*351 . श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) प्रापात स्थिति के दौरान जेलों में ग्रथवा पेरोल के दौरान मरने वाले नजरबद व्यक्तियों के प्राधितों को पेंगन देने का मान-दण्ड क्या है; भीर
- (ख) पेंशन किस तारीख में दी आयेगी, कितनी दी जायेगी सीर कितने साथितों को पेंकन सिलेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) आपातस्थित के बौरान मीसा के मधीन रखें क्ये उन नजरबन्धियों के शाक्षित पेंजन

के लिए पात हैं, जिन की मत्यु हिरासत में भयवा हिरासत से उन की रिहाई के, गहे पेरोल पर या भ्रन्यया, तीन महीने के भीतर हो गई थी। यह योजना केवल भारतीय राष्ट्रिकों भीर उन को जिन्हें भ्राधिक सहायता की जरूरत है लागु होगी।

- (ख) प्रत्येक मामले में 200 रु० से 300 रु० तक मामिक पेंशन, जिस महीने में नजरबन्द व्यक्ति की मत्यु हुई हो उमसे आगे के महीने से दी जाएगी। पेंशन के लिए निम्नलिखिन आश्वित पाव होंगे :-
- (1) मृतक की विधवा जब तक वह दूसरा विवाह नहीं करती प्रथवा उस की मत्यु नहीं होती;
- (2) घाश्रित लड़के व लड़कियां परन्तु लड़के की घायु 21 वर्ष की होने पर घयवा लड़कियों की घाटी होने पर या घन्य रूप मे स्वतन्त्र होने पर वह बन्द हो जाएगी; धीर
- (3) जीवित माता-पिता, यदि वे भपने जीवन-निर्वाह के लिए पूर्णतः मृतक पर निर्भर थे ।

श्री हरगोविंद वर्मा: ग्रध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय मंत्री जो से जानना चाहता हूं
कि जो डी 0 ग्राई 0 ग्रार 0 में बन्द हुए हैं
क्या उनकों भी षुष्ठ पेंगन मिलेगी क्योंकि
सरकार ने पुलिस के माध्यम में ग्रधिकतर
ऐसे ऐसे लोगों को डी॰ ग्राई॰ ग्रार॰ में
बन्द किया जो कि निर्दोष थे, केवल राजनीतिक
तौर पर ग्रौर प्रजातांत्रिक तौर पर ही सरकार
के विरोध में थे। ऐसे लोगों को भी पुलिस ने
बन्द कर दिया और उन में से कुछ व्यक्ति
मरे भी हैं। तो क्या सरकार उन को भी पेंगन
वेने की कृषा करेगी ?

श्री चरण सिंह : यह पेंग्नन केवल नजर-बन्दी के ग्राश्रितों को जिन की मृत्यु हो गई है, मिलेगी । डी० ग्राई० ग्रार० के लोगों पर लागू नहीं है। बैसे जिन पर डी० प्राई० प्रार० के केसेज चल रहे थे उनको नजरबन्द भी कर दिया गया था एम० प्राई० एस० ए० के ग्रन्दर, तो ऐमे लोगों को जो एम० ग्राई० एस० ए० के ग्रन्दर थे, चाहेडी० ग्राई० ग्रार० हो या न हो, उनको भी मिलेगी।

श्री हरगोविन्द वर्मा : हम शृद्ध डी० ग्राई० ग्रार० ने बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे केसेज हैं कि जो बहुत से राजनीतिक लोग थे ग्रीर उनकी मृत्यू जेल में हुई है। ऐसे लोगों के बारे में सरकार की क्या दृष्टि है?

श्री चरण सिंह: श्रव तक का फैसला केवल नजरबन्दों के लिए हैं। लेकिन माननीय मिन्न ने जो सवाल उठाया है उस पर सुसरकार विचार करेगी।

श्री डी॰ एन॰ तिवारी : मैं जानना चाहुंगा कि क्या सरकार के पाम स्टेटवाइज कोई स्टैटिक्स हैं कि कितने ऐसे केसेज हैं ग्रीर कितन पेंगन के लायक हैं ग्रीर कितनों को पेंगन दी गई है, ग्रीर बाकी को कब तक सेक्शन हो जाएगी? यदि यह स्टैटिक्स नहीं हैं तो इनको कब तक इकट्ठा कर लेने का सरकार का इरादा है।

श्री चरण सिंह : प्रदेश वार मृतकों के ग्रांकड़े गवनंमेंट के पास हैं। प्रव जिलाधीशों को लिखा जा रहा है कि जो इस प्रकार के केसेज हों वह स्टेट गर्वनमेंट को भेजें ग्रीर स्टेट गवनंमेंट भारत सरकार को भेजें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : इस प्रकार के पेंशन के मामले में जो लोग पेंशन लेने के पात्र हैं, उनके प्रपने सम्बन्धी हैं, ग्रामीण हैं, कुछ श्रीर हैं, तो प्रासेंस इतना काफी कम्पलीकेटेड हो जाता है। क्या मंत्री महोदय, इस प्रक्रिया को इतना सीधा भौर सरल बनाएंगे जिससे उनको पेंजन पाने में सुविधा हो ?

श्री बरण सिंह : माननीय मित्र ने जो कहा है, वह बहुत ठीक है। मैं उससे सहमत हूं। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास यह श्रादेण भेज रहे हैं कि वह श्रपनी श्रोर से तहकीकात करें न कि इस बात पर निभंर करें कि श्राश्रितों के यहां से दरहवास्त श्राये।

श्रीमती ग्रहिल्या पी० रांगनेकर:
मैं मंत्री महोदय में जानना चाहती हूं
कि जो ग्रंडर ट्रायल थे, जिनकी टाचंसं
की वजह से मृत्यु हो गई, क्या उनको
भी पेंगन दी जाएगी?

श्री चरण सिंह : टाचंसं की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, ग्रीर वह ग्रन्दर थे, वह नो इसमें ग्रा गए।

श्रीमती श्रहित्या पी० रांगनेकर : वह ग्रंडर ट्रायल थे, मीमा में डिटेनस नहीं थे।

श्री चरण सिहः उनकेमेज पर विचार किया जाएगा।

SHRI SAMAR GUHA: Sir. I want to know from the hon'ble Minister whether it is a fact that on the Lasis of a circular issued by the Home Minister during the last regime many teachers in schools, colleges and universities were deprived of their salaries? This circular was sent to all the State Chief Secretaries. It was said in that circular that those teachers who are in detention under MISA should not be given full salary. They should be paid salary only for the period of leave. I would like to know whether that circular will be withdrawn so that the concerned authorities may be able to pay the outstanding salaries to the affected teachers?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, this supplementary does not arise out of the present question. I want a separate notice for it.

SHRI PURNA SINHA: May I know from the hon'ble Minister v hat steps will be taken in the cases of those who suffered incurable diseases during detention resulting into eventual death after three months?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, I have not understood the question but those cases where death has occurred will be covered and given pension.

Memoranda Against Chief Minister/ Ex-Chief Ministers etc.

\*352. SHRI KANWAR LAL GUPTA. Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) Whether Government have received memoranda against some Chief Ministers, Ministers, ex-Chief Ministers and ex-Ministers of the States in the last two years;
- (b) if so, the names of persons against whom the memoranda have been received and the contents of the memoranda; and
- (c) what action has been taken over these memoranda by the Government; and whether Government propose to refer these memoranda to CBI for investigation?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI CHARAN SINGH): (a):
Yes, Sir.

- (b) It will not be appropriate to disclose the nature of the allegations contained in the said memoranda received during the years 1975 and 1976 or the names of the persons against whom allegations were made.
- (c) According to the available information the said memoranda were processed in accordance with the usual procedure having regard to the provisions of the Code of Conduct for